न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

प्रकरण नं : 45/2021 तारीख रजू :– 21.09.2021

पीठासीन अधिकारी अनूपसिंह
R.A.S.

भजनलाल पुत्र मनता जाति जाटव निवासी झिरना तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————— प्रार्थी

बनाम

1. घनश्याम पुत्र सुन्दर
2. रामबाबू पुत्र सुन्दर
3. हंसराज पुत्र सुन्दर

जाति जाटव निवासी पौंछडी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी करवाने

उपस्थित :–1. श्री प्यारेलाल पोहिया एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय

दिंनाक :– 10/5/2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 0.47 है0 स्थित ग्राम ग्राम झिरना तहसील हिण्डौन में स्थित है, जो प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थी की उक्त आराजी ासरा नम्बर 37 से सटेवा भूमि खसरा नम्बर 737 रकबा 0.78 है0 वाके ग्राम पौंछडी तहसील हिण्डौन में स्थित है, जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि उपरोक्त भूमि को जब भी प्रार्थी जोतने बोने जाता है तो प्रार्थी से अप्रार्थीगण विवाद करते हैं और डोल मेंढों को दवाने का प्रयाश करते हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को काश्त करने में बाधा डालते रहते हैं और विवाद करते रहते हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि घटना दिनांक 05.09. 2021 को समय सुबह करीब 8 बजे की है कि प्रार्थी अपने खेत की साल संभाल कर रहा था कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की डोल को तोड रहे थे तथा इनके साथ अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.23 11:31:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

व्यक्ति डोल को तोड रहे थे, प्रार्थी ने मना किया कि भाई मेरी डोल को मत तोडो तो वे नाराज हो गये और कहा कि अभी तो डोल तोड रहे हैं आगे तुम्हारी जमीन में घुस कर कब्जा करेंगे। इस कारण प्रार्थी को अपनी जमीन की सुरक्षा हेतु उक्त प्रार्थी की जमीन पर पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थी ने पूर्व में भी कई बार सीमाज्ञान करवा चुका है लेकिन अप्रार्थीगण नहीं मान रहे हैं। इसलिए अब प्रार्थी को पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी प्रार्थी की जमीन खसरा नम्बर 37 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम झिरना की पत्थरगढी करवाये जाने हेतु तहसीलदार हिण्डौन को आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तबल किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 किता–2 नकल नक्शा ट्रेस पेश की है।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम झिरना तहसील हिण्डौन की खातेदारी रजनलाल पुत्र भनता हिस्सा पूर्ण जाति जाटव सा0ग्राम खातेदार राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 737 रकबा 0.78 है0 वाके ग्राम पौंछडी तहसील हिण्डौन की खातेदारी घनश्याम पुत्र सुन्दर हिस्सा 1/3 जाति जाटव सा0देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक, रामबाबू पुत्र सुन्दर हिस्सा 1/3 जाति जाटव सा0देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 (पूर्ण खाता) पंजाब [illegible]क, हंसराज पुत्र सुन्दर हिस्सा 1/3 जाति जाटव सा0देह खातेदार [illegible] 1/3 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा हिण्डौन [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Sing
Date: 2022.06.23 11:31:21 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम झिरना तहसील हिण्डौन [illegible] प्रार्थी रेकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रार्थी उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम झिरना तहसील हिण्डौन का खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

होने के कारण अपनी खातेदारी की भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान कराते हुए पत्थरगढी कराने का अधिकारी साबित हैं। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुँचकर विवादित खसरा नम्बर 37 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम झिरना तहसील हिण्डौन का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाते समय मौके पर कानून व्यवस्था एवं परिशान्ति बनाये रखने हेतु यदि तहसीलदार उचित समझे तो थानाधिकारी थाना सदर हिण्डौन से पर्याप्त पुलिस जाप्ता नियत तारीख पेशी को प्राप्त कर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निश्चित करते हुए खसरा नम्बर 37 ग्राम झिरना एवं खसरा नम्बर 737 रकबा 0.78 है0 ग्राम पौंछडी के सभी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें तथा प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार हिण्डौन के यहाँ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डौन एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 10/5/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Si
Date: 2022.06.23 11:31:21
Reason: SelfAttested